

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 15(9)राज/वाद/2020

जयपुर, दिनांक 21.09.2023

**आदेशः**

राजकीय वादकरण नीति-2018 के अध्याय-6 के अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ, जयपुर व अन्य अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों में लम्बित/विचाराधीन एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त न्यायिक प्रकरणों की सुचारू रूप से मॉनिटरिंग करने हेतु श्री आशुतोष कुमावत, संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर को विधि विभाग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

२०  
(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी।
4. संयुक्त शासन सचिव(वि.र.स)।
5. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
6. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
8. समस्त गवर्नर्मेंट कॉसिलगण/राजकीय अधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त पैनल लॉयर, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
11. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

२०  
(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि